<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी :— आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2014/00090 (86/2014) 223 आरटीएक्ट

1. दाना पत्नी स्व0 श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
   1/1 भारा पुत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद पत्नी आयूब खां जाति मुसलमान निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
   1/2 मुरादा बेगम पुत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद पत्नी माही जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/3 अरशादा बंगम पुत्री स्व0 री नूर मोहम्मद पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/4 इरशाद पुत्र स्व0 श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री चोखराज जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. नवाबदीन पुत्र खैर दीन जाति राठ निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. आलीया पुत्र अजीज (फौत)
   3/1 नेक मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/2 रमजान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/3 खान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/4 जान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/5 सफी मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/6 मोहम्मद सफी पुत्र आलिया
   3/7 मु0 गोगा पुत्री आलिया
   3/8 मु0 किलो पुत्री आलिया
   3/9 मु0 जमीला पुत्री आलिया
   3/10 मु0 सलीमा पुत्री आलिया
4. मु0 रानी पुत्री साहबदीन
5. मु0 इसमत पुत्री साहबदीन
6. मु0 खाना पुत्री साहबदीन
7. मु0 जीरो पुत्री साहबदीन
8. मु0 सुकरा पुत्री जबीरा
9. मु0 फौज (फौत)
   9/1 माहम अली पुत्र मु0 फैजा

अकवाम राठ निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

10. मु0 शुदा पुत्री मु0 वजीरा पुत्री साहबदीन उर्फ माहला उर्फ माहम अली जाति राठ निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

11. मु0 शीना पुत्री
12. मु0 लाई पुत्री
13. मु0जमीला पुत्री
14. अल्लादिता पुत्र

} मु0 वजीरा पुत्री साहबदीन उर्फ माहला उर्फ माहम अली अकववाम राठ निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

15. चिरागदीन उर्फ कामा पुत्र सदा जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

16. शेरी उर्फ शेर मोहम्मद
17. टीली
18. ज्यान मोहम्मद
19. मन्जूर

} पिसरान चिरागदीन उर्फ कामा पुत्र सदा जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2010 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0 सं0 40/2019 बअनवानी रामस्वरूप बनाम नवाबदीन आदि

उपस्थितः–
श्री प्रद्युमन परमार, श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मोहन मुन्जाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 13.11.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत 53 एवं 188 आरटीएक्ट में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व स्वर्गीय मु0 ताजो बेवा साहबदीन जाति राठ साकिन मानकसर के साथ सहखातेदार काश्तकार है। आराजी मुतनाजा में वादी का 1487 दर्ज कागजात है। संयुक्त खाता होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच रकमराज व आबयानी आदि की बाबत तनाजा रहता है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के बीच अच्छी में से अच्छी मंदी में से मंदी भूमि का खाता तकसीम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 19 का आराजी मुतनाजा में कोई हक व हिस्सा नही है परन्तु उन्होंने प. नं. 152/237 मु0 नं0 15 किला नं. 11, 12, 19, ता 23 कुल 7 बीधा पर पिछले दो वर्ष से नाजायज बिना अधिकार कब्जा कर रखा है और बतौर ट्रैस पासर काबिज है जिन्हें बेदखल किया जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 5 ने जवाब दावा पेश करते हुए कथन किया कि सांझे खाते की आराजी का बेचान विशेष किलाजात के साथ किया गया है। इसलिए उक्त बेचान अवैध व शून्य है

इससे वादी का कोई अधिकार प्राप्त नही हाते प्रतिवादीया को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जिस पर प्रतिवादीया सं0 5 का कब्जा है। प्रतिवादी सं0 5 ने वाद खारिज करने का कथन किया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2010 के द्वारा वादी वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय काबिल निरस्ती है। वादी रामस्वरूप द्वारा अपीलार्थी के हिस्से की भूमि को क्रय नहीं किया है। अपीलार्थीया का हिस्सा आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी इसका अंकन किया हुआ है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र डिक्री करने में अहम भूल की है। रामस्वरूप ने मुश्तर्का खाता में से भूमि खरीद की है और उसके बैयनामा में मौका पर कब्जा दिया जाना दर्शित किया है गया है, जबकि उसके द्वारा कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी के खाता में अन्य खातेदार होने के बावजूद भी अपीलार्थीया के हिस्से में से वादी रामस्वरूप को हिस्सा देने का अविधिक निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत 7 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा मु0 जीरा व वजीरा पुत्रिया स्व साहबदीन से खरीदशुदा है चुंकि प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत बैयनामा को चुनौति नही दी है और अब यह अवधि भी समाप्त हो चुकी है। वादी ने विधि मान्य तरीके से उक्त आराजी खरीद की है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर सह खातेदार दर्ज हो चुका है। मृतक साहबदीन के वारिसान का यह वैधानिक दायित्व है कि वे खरीदशुदा आराजी का कब्जा वादी को देवें। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वादी की खरीदशुदा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज थी जो अतिक्रमी थी ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 5 के हिस्सा कम कर अंकन करने एवं वादी को कब्जा सुपुर्द करने के अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिये थे वे विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का रिपार्ट एवं प्रदर्श 1 ता 4 सहित का अवलोकन किया। चक 20 एम.के.एस. के प. नं. 152/236 किला नं. 19/010, 21 ता 23 कुल 3.10 बीघा वजीरा पत्नी माहला पुत्री साहबदीन जाति मुसलमान निवासी मानकसर व इसी चक में प. नं. 152/236 किला नं. 11 व 12 19/0.10, 20 कुल 3.10 बीघा आराजी मु0 जीरा पत्नी अहमद पुत्री साहबदीन जाति मुसलमान साकिन ढालिया से जरिये पंजीकृत बैयनामा से खरीदशुदा है जो साहबदीन की हक हिस्सा की आरजी में विरास्तन हकदार हैं। पंजीकृत बैयनामा के आधार पर वादी का नाम चक 20 एम.के.एस. के खाता संख्या 31/30 व 37/35 तौर काश्तकार दर्ज है। पंजीकृत बैयनामा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई ना ही इस बैयनामे के किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में साहबदीन मृतक वजीरा सहित सभी वारिसान का यह विधिक दायित्व है कि वे वादी को खरीदशुदा रकबा का कब्जा सुपुर्द करें। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2010 संलग्न जिसके अनुसार वादी सह काश्तकार है किन्तु मौका पर कब्जा नही है यानि वादी द्वारा खरीदशुदा रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से अन्य काबिज हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी सं0 5 दाना पुत्री साहबदीन वादी के खरीदशुदा रकबा पर बतौर अतिक्रमी काबिज है और रेस्पोडेण्ट सं0 1/वादी अपनी खरीदशुदा भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण में आये उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे उसका प्रश्नगत आरजी पर साधिकार कब्जा हो। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रूटि नहीं पाते हैं जिसके आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2010 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील सं0 2014/00090 (86/2014) 223 आरटीएक्ट

1. दाना पत्नी स्व0 श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
   1/1 भारा पुत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद पत्नी आयूब खां जाति मुसलमान निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
   1/2 मुरादा बेगम पुत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद पत्नी माही जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/3 अरशादा बंगम पुत्री स्व0 री नूर मोहम्मद पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/4 इरशाद पुत्र स्व0 श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री चोखराज जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. नवाबदीन पुत्र खैर दीन जाति राठ निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. आलीया पुत्र अजीज (फौत)
   3/1 नेक मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/2 रमजान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/3 खान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/4 जान मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/5 सफी मोहम्मद पुत्र आलिया
   3/6 मोहम्मद सफी पुत्र आलिया
   3/7 मु0 गोगा पुत्री आलिया
   3/8 मु0 किलो पुत्री आलिया
   3/9 मु0 जमीला पुत्री आलिया
   3/10 मु0 सलीमा पुत्री आलिया
4. मु0 रानी पुत्री साहबदीन
5. मु0 इसमत पुत्री साहबदीन
6. मु0 खाना पुत्री साहबदीन
7. मु0 जीरो पुत्री साहबदीन
8. मु0 सुकरा पुत्री जबीरा
9. मु0 फौज (फौत)
   9/1 माहम अली पुत्र मु0 फैजा

} अकवाम राठ निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

10. मु0 शुदा पुत्री मु0 वजीरा पुत्री साहबदीन उर्फ माहला उर्फ माहम अली जाति राठ निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

11. मु0 शीना पुत्री
12. मु0 लाई पुत्री
13. मु0जमीला पुत्री
14. अल्लादिता पुत्र

} मु0 वजीरा पुत्री साहबदीन उर्फ माहला उर्फ माहम अली अकववाम राठ निवासीयान मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

15. चिरागदीन उर्फ कामा पुत्र सदा जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

16. शेरी उर्फ शेर मोहम्मद
17. टीली
18. ज्यान मोहम्मद
19. मन्जूर

} पिसरान चिरागदीन उर्फ कामा पुत्र सदा जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2010 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0 सं0 40/2019 बअनवानी रामस्वरूप बनाम नवाबदीन आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री प्रद्युमन परमार, श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट, मोहन मुन्जाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2010 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13.11.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.02 15:26:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: